



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 फाल्गुन 1943 (श10)
(सं0 पटना 78) पटना, बुधवार, 23 फरवरी 2022

vkink ic/ku foHkx

vf/k l puk

18 फरवरी 2022

सं० 01/प्रा0आ0(NDMF/SDMF)—56/2020/617/आ0प्र0—गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक—33—02/2020—NDM-I दिनांक—14.01.2022 के द्वारा निर्गत Guidelines on constitution and Administration of the State Disaster Mitigation Fund (SDMF) based on the recommendations of the Fifteenth Finance Commission 2021-22 to 2025-26 की कंडिका—13(i) के आलोक में SDMF के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु श्री पारस नाथ राय, माननीय सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में Appraisal Committee का गठन किया जाता है।

2. उक्त मूल्यांकन समिति में संबंधित विभागों के निम्नांकित पदाधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित किया जाता है:—

क्र०	विभाग का नाम	सदस्य के रूप में नामित पदाधिकार
1	जल संसाधन विभाग	अभियंता प्रमुख अथवा प्रधान सचिव/सचिव के द्वारा नामित पदाधिकारी
2	लघु जल संसाधन विभाग	अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता अथवा प्रधान सचिव/सचिव के द्वारा नामित पदाधिकारी
3	ग्रामीण विकास विभाग	अपर सचिव अथवा प्रधान सचिव/सचिव के द्वारा नामित पदाधिकारी
4	नगर विकास एवं आवास विभाग	अपर सचिव अथवा प्रधान सचिव/सचिव के द्वारा नामित पदाधिकारी
5	लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग	अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता अथवा सचिव के द्वारा नामित पदाधिकारी
6	कृषि विभाग	निदेशक कृषि अथवा प्रधान सचिव/सचिव के द्वारा नामित पदाधिकारी
7	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	निदेशक पशुपालन अथवा प्रधान सचिव/सचिव के द्वारा नामित पदाधिकारी

3. प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री, बिहार-सह-अध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 78-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>